राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.6(29)नविवि/3/2004 पार्ट जयपुर, दिनांक 07 JAN 2021

आदेश

राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं की क्रियान्विती के लिए समय समय पर अर्जित एवं अवाप्त की गई भूमि के बदले मुआवजे के भुगतान स्वरूप विकसित भूमि देने के संबंध में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.09.2020 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। जयपुर विकास प्राधिकरण की निम्न परियोजनाओं में समर्पित भूमि के बदले जिस जोनल प्लान में उक्त भूमि स्थित है, उसी जोनल प्लान में राज्य सरकार के आदेश व जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों व प्रक्रिया के तहत विकसित भूमि आवंटन के प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर निस्तारित किए जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

1. रिंग रोड परियोजना
2. सेन्ट्रल स्पाईन योजना
3. वेस्टवे हाईट्स योजना
4. ट्रांसपोर्ट नगर योजना
5. लोहा मंडी योजना
6. सेज योजना
7. पृथ्वीराज नगर योजना
8. महल योजना
9. सेक्टर रोड

भूमि के बदले भूखण्ड उसी जोनल प्लान में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्यत्र जोनल प्लान में भूमि दी जानी प्रस्तावित हो तो ऐसे आवंटन के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ कार्यकारी समिति में निर्णय लेकर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजे जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम